संख्या–4396 / 9–आ–1–02–57डीए / 02

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

लखनऊ।

2. समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश।

3. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश।

4. अध्यक्ष,

समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक–24 सितम्बर, 2002

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अंचल सम्पत्तियों का कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3058 / 9–आ–1–02–57डीए / 2002, दिनांक–20 जुलाई, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद / प्राधिकरणों द्वारा सृजित सम्पत्तियों के विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश द्वारा दिये गये निदेशों के क्रम में प्राधिकरणों एवं परिषद द्वारा लगाये गये विशेष कैम्पों की लोकप्रियता एवं जनता के रूझान को दृष्टिकोण रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विक्रय विलेख निष्पादित कराने की समय सीमा दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 तक बढ़ा दी जाय।

कृपया तद्नुसार अभियान चलाकर विशेष कैम्प के माध्यम से अवशेष सम्पत्तियों के विक्रय विलेख निष्पादित कराये जायें। उक्त के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समय–समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे0एस0मिश्र
सचिव ।

संख्या :– 4396(1)/9–आ–1–02–तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से सब–रजिस्ट्रार निबन्धन को उक्त अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें। उक्त के अतिरिक्त अपने स्तर से प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

संख्या :– 4396(2)/9–आ–1–02–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ0प्र0 शासन।
2. महानिरीक्षक, पंजीयन, उत्तर प्रदेश।
3. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।